राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2330/2008/जयपुर

मैसर्स फूट केरियर्स,
आदर्श नगर, जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, जयपुर
2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता–IV, राज0,जयपुर .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,

अधिकृत अभिभाष .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 17/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 631/आरएसटी/एनआरडी/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता चतुर्थ राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 08.07.1996 को वाहन संख्या आरएनजी–2251 को जांच हेतु कर भवन लाया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया में संदेहास्पद पाये गये। इस कारण से जयपुर के माल क्रेता व्यवसाईयों की जांच विभागीय निरीक्षकों से करवाये जाने पर जयपुर के कुछ क्रेता व्यवसाईयों द्वारा माल मंगवाने से इंकार किया गया। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट कम्पनी के भागीदार द्वारा जयपुर के माल क्रेता व्यवसाईयों से सांठ–गांठ कर, कर चोरी की नियत से फर्जी दस्तावेज के जरिये माल परिवहनित करने का दोषी मनोभाव पाया गया। सशक्त अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(2)(4), 81(1) एवं नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण ट्रांसपोर्ट के भागीदार को अधिनियम की धारा 78(8) के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 7.9.1998 द्वारा परिवहनित माल कीमतन रू. 8,70,999/– पर कर रू. 4,658/– तथा शास्ति रूपये 2,47,325/–कुल रू. 2,51,983/– की मांग सृजित की गई। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, उन्होंने ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2008 पारित करते हुए सशक्त अधिकारी

सृजित मांग को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2008 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित माल गोदाम में उतारा जा चुका था, किन्तु सशक्त अधिकारी ने विधि के प्रावधानों के विपरीत उतारे गये माल को पुनः वाहन में भरकर जांच हेतु कर भवन ले जाया गया, जिसका कि उनको अधिकार प्राप्त नहीं था। उनका कथन है कि सशक्त अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कर, शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि परिवहनित माल से सम्बन्धित वांछित दस्तावेज यथा बिल व बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे। उनका कथन है कि प्रस्तुत दस्तावेजों में माल प्रेषक व प्रेषिति के पूर्ण पते अंकित थे जिनकी सशक्त अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई। माल दिल्ली से जयपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा था, जो वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से समर्थित था। उनका कथन है कि नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर सशक्त अधिकारी द्वारा बिना गौर किये एवं बिना किसी ठोस आधार के अपीलार्थी के विरूद्ध कर, शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व में पारित मै0 गोल्डन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरशन, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय, जोन–द्वितीय, जयपुर (2003) 7 टैक्स अपडेट पेज 82 तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय, जोन–द्वितीय, जयपुर बनाम मै. गिल सन्धु हरियाणा ट्रांसपोर्ट कं. जयपुर निर्णय दिनांक 06.12.2005 के प्रकरणों पारित निर्णयों को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा नियमानुसार सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त भी माल प्रेषक व प्रेषिति व्यवसाईयों के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर विभागीय निरीक्षकों द्वारा जयपुर के माल क्रेता व्यवसाईयों की जांच करवाये जाने पर जयपुर के कुछ क्रेता व्यवसाईयों द्वारा माल मंगवाने से इंकार किया गया है। माल प्रेषक व प्रेषिति व्यवसाईयों के सम्बन्ध में कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण सशक्त अधिकारी ने ट्रांसपोर्ट कम्पनी के भागीदार द्वारा जयपुर के माल क्रेता व्यवसाईयों से सांठ–गांठ कर, कर चोरी की

नियत से फर्जी दस्तावेजों के जरिये माल परिवहनित करने का दोषी मनोभाव प्रमाणित होता है । सशक्त अधिकारी द्वारा विभागीय निरीक्षकों से गहन जांच कराने के उपरान्त ही अपीलार्थी के विरूद्ध कर, शास्ति को आरोपण किया है, जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी का करापवंचन का दोषी मनोभाव नही होता तो वक्त जांच अथवा नोटिस की पालना में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के प्रमाण प्रस्तुत करता, जो भी उसके द्वारा नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना के पश्चात सृजित मांग को यथावत रखने में किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 30.04.2008 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष